बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-03/2017 — 1421/आ० नि० को० दिनांक- 6 नवम्बर'20

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
पटना।

विषय :- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन अनुक्रम में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से संबंधित राज्य स्तर पर पुरस्कार का प्रावधान करने एवं इस वर्ष से विश्व दिव्यांगता दिवस (03 दिसम्बर) के अवसर पर प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :- **इस कार्यालय का पत्रांक-429 दि0-20.07.2018, पत्रांक-1102 दि0-18.08.2020 तथा पत्रांक-1287 दि0-30.09.2020**

महाशय,

यह पत्र उपर्युक्त विषय में प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ देते हुए आपका ध्यान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (आगे से अधिनियम,2016) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से संबंधित राज्य स्तर पर पुरस्कार का प्रावधान करने एवं इस वर्ष से विश्व दिव्यांगता दिवस (03 दिसम्बर) के अवसर पर प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

उल्लेखनीय है कि अधिनियम,2016 अन्य के साथ, दिव्यांगजनों को उनके समाज में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी हेतु अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की धारा-3(2) के अन्तर्गत राज्य सरकारों को समुचित बातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके अन्तर्गत दिव्यांगजनों के मध्य जागरूकता अभियान का संचालन व प्रोत्साहन इत्यादि से सम्बन्धित बिन्दु भी शामिल हैं। इस सम्बन्ध में अधिनियम की निम्न धाराओं अन्तर्गत वर्णित प्रावधान उल्लेखनीय है :-

अधिनियम की धारा-39(1) - समुचित सरकार, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त से परामर्श करके इस अधिनियम के अधीन दिव्यांगजनों को दिए अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियानों और सुग्राहयता कार्यक्रमों का संचालन, **प्रोत्साहन**, उसमें सहायता या संवर्धन करेगी।

अधिनियम की धारा-30(3)च- दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता विनिर्दिष्ट खेलकूद आयोजनों को संबर्धित करना और आयोजित करना तथा ऐसे खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं और अन्य भागीदारों को भी पुरस्कार देने को सुकर बनाना।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामलें में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने एवं दिव्यांगजनों के लिए आशायित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरी हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

कृ0पृ0उ0.........

o/c

प्रासंगिक पत्र के अन्तर्गत इस विषय में उल्लेख किया गया था कि राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का सतत प्रयास रहता है कि दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित सभी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाने के साथ-साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं तथा विशिष्ट दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार आदि की व्यवस्था किया जाय। इसी सम्बन्ध में यह भी उल्लेख किया गया था कि हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 03 दिसम्बर'2020 को विश्व दिव्यांगता दिवस का आयोजन किया जाना है। उक्त आयोजित दिवस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित प्रेस-विज्ञप्ति के अनुरूप बिहार राज्य में भी दिव्यांगता के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थाओं/प्रतिष्ठानों एवं विशिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य स्तर पर राजकीय पुरस्कार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय (सुलभ संदर्भ हेतु पत्रांक-1287 दि0-30.09.2020 की प्रति संलग्न)।

इस सम्बन्ध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगता के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु योग्य उम्मीदवारों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं से विभिन्न क्षेत्र में उनके योगदान हेतु समाचार पत्रों/बेवसाईट पर जारी विज्ञापन एवं इसी सदृश्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तर पर पुरस्कारों हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित आवश्यक विज्ञापन का सुलभ संदर्भ प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी प्रति प्रासंगिक पत्रों के अन्तर्गत आपको पूर्व में प्रेषित है।

सुलभ संदर्भ हेतु उल्लेख करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार,2020 अन्तर्गत जिन श्रेणियों में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया, उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

(1) सर्वोत्तम दिव्यांग कर्मचारी/स्वरोजगाररत
(2) सर्वोत्तम नियोक्ता तथा प्लेसमेन्ट अधिकारी या एजेन्सी
(3) दिव्यांग व्यक्तियों के निमित कार्यरत सर्वोत्तम व्यक्ति तथा संस्था
(4) रोल मॉडल
(5) दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार हेतु सर्वोत्तम अनुप्रयुक्त अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास
(6) दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण सृजन में उत्कृष्ट कार्य
(7) पुनर्वासन सेवाएं प्रदान करने में सर्वोत्तम जिला
(8) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की सर्वोत्तम राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सी
(9) उत्कृष्ट सृजनशील व्यस्क दिव्यांग व्यक्ति
(10) सर्वोत्तम सृजनशील दिव्यांग बच्चा
(11) सर्वोत्तम ब्रेल प्रेस
(12) सर्वोत्तम सुगम्य बेवसाइट
(13) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने वाला सर्वोत्तम राज्य एवं
(14) सर्वोत्तम दिव्यांग खिलाड़ी।

अन्य राज्य सरकारों द्वारा यथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस 03 दिसम्बर के अवसर पर उक्त अनुरूप ही राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है।

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार के निदेशानुसार जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित किया जाता है, उसमें अनुसार दिव्यांगजनों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने एवं दिव्यांगजनों तथा उसके लिए कार्य कर रहे संस्थाओं को पुरस्कृत करने का भी सुझाव मुख्य आयुक्त नि:शक्तजन, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली का है।

अत: अनुरोध है कि विश्व दिव्यांग दिवस की गरिमा को ध्यान में रखकर अन्य राज्यों के अनुरूप बिहार राज्य में भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन अनुक्रम में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से संबंधित राज्य स्तर पर पुरस्कार का प्रावधान करने एवं इस वर्ष से विश्व दिव्यांगता दिवस (03 दिसम्बर) के अवसर पर प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ताकि दिव्यांगों के प्रति सजग राज्य के रूप में बिहार गौरवान्वित हो सके।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन
06.11.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-03/2017 – 1421/आ0 नि0 को0 दिनांक- 6 नवम्बर'20

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

06.11.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, बिहार

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

दूरभाष सं0-0612-2215041, email - scdisability2008@gmail.com, website -www. scdisabilities.org

पत्रांक- 1287/आ.नि.श. दिनांक 30 सितम्बर'2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शकतता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

विषय- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से संबंधित राज्य स्तर पर पुरस्कार का प्रावधान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगता के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, 2020 के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु योग्य उम्मीदवारों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं से विभिन्न क्षेत्र में उनके योगदान हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किया गया है। इसी सदृश्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तर पर पुरस्कारों हेतु आवश्यक विज्ञापन समाचार-पत्र में प्रकाशित है (प्रति संलग्न)।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार, 2020 के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, उनका विवरण निम्न प्रकार है। :-

(1) सर्वोत्तम दिव्यांग कर्मचारी/स्वरोजगाररत
(2) सर्वोत्तम नियोक्ता तथा प्लेसमेन्ट अधिकारी या एजेन्सी
(3) दिव्यांग व्यक्तियों के निमित कार्यरत सर्वोत्तम व्यक्ति तथा संस्था
(4) रोल मॉडल
(5) दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार हेतु सर्वोत्तम अनुप्रयुक्त अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास
(6) दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण सृजन में उत्कृष्ट कार्य
(7) पुनर्वासन सेवाएं प्रदान करने में सर्वोत्तम जिला
(8) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की सर्वोत्तम राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सी

(9) उत्कृष्ट सृजनशील व्यस्क दिव्यांग व्यक्ति
(10) सर्वोत्तम सृजनशील दिव्यांग बच्चा
(11) सर्वोत्तम ब्रेल प्रेस
(12) सर्वोत्तम सुगम्य बेवसाइट
(13) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने वाला सर्वोत्तम राज्य एवं
(14) सर्वोत्तम दिव्यांग खिलाड़ी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी विश्व दिव्यांग दिवस 03 दिसम्बर' 2020 के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु प्रेस विज्ञप्ति समाचार-पत्र में दिया है (प्रति संलग्न)।

CCPD के निदेशानुसार जो रिपोर्ट प्रेषित किया जाता है, उसके अनुसार दिव्यांगजनों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने एवं दिव्यांगजनों तथा उनके लिए कार्य कर रहे संस्थाओं को पुरस्कृत का भी सुझाव मुख्य आयुक्त नि:शक्तजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली का है।

प्रासंगिक विषय पर राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का सतत प्रयास रहता है कि दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित सभी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाने के साथ-साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं तथा विशिष्ट दिव्यांगजनों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार आदि की व्यवस्था किया जाय। विदित होगा कि हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 03 दिसम्बर,2020 को विश्व विकलांग दिवस का आयोजन किया जाना है। उक्त आयोजित दिवस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पकाशित प्रेस-विज्ञप्ति को दृष्टिपथ में रखकर बिहार राज्य में भी दिव्यांगता के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थाओं/प्रतिष्ठानों एवं विशिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य स्तर पर राजकीय पुरस्कार की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। विषयांकित मामले में बजट उपलब्ध के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को आवश्यक निदेश देना चाहेंगे।

अत: अनुरोध है कि विश्व विकलांग दिवस की गरिमा को ध्यान में रखकर अन्य राज्यों के अनुरूप बिहार राज्य में भी राजकीय पुरस्कार की व्यवस्था कराने की कृपा की जाय ताकि दिव्यांगों के प्रति सजग राज्य के रूप में बिहार गौरवान्वित हो सके।

~~अनुलग्नक-यथोक्त~~

21.09.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1287/आ.नि.(श)

दिनांक- 30 सितम्बर'2020

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.09.20
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।